फ़ा.संख्या सीबीआईसी-20001/2/2026-जीएसटी
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड
जीएसटी पॉलिसी विंग

कमरा संख्या-16039**,** कर्तव्य भवन

नई दिल्ली, दिनांक 26.10.2026

सेवा में,

सभी प्रधान मुख्य आयुक्त/ मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर

सभी प्रधान महानिदेशक / महानिदेशक ।

महोदया/महोदय,

विषय: परिपत्र संख्या 231/25/2024-जीएसटी दिनांक 10.09.2024 के अनुसरण में मोटर वाहनों की बिक्री हेतु निर्माताओं द्वारा नियुक्त अधिकृत अभिकर्ताओं को इनपुट टैक्स क्रेडिट की स्वीकार्यता संबन्धित स्पष्टीकरण – के संदर्भ में।

कृपया परिपत्र संख्या 231/25/2024-जीएसटी दिनांक 10.09.2024 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसमें डेमो वाहनों के संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट की उपलब्धता के संबंध में कुछ मुद्दों को स्पष्ट किया गया था।

2. मोटर वाहनों की बिक्री हेतु वाहन निर्माताओं द्वारा नियुक्त अधिकृत अभिकर्ताओं को डेमो वाहनों के संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) की स्वीकार्यता के संबंध में, परिपत्र संख्या 231/25/2024-जीएसटी दिनांक 10.09.2024 (जिसे आगे "उक्त परिपत्र" कहा जाएगा) के अनुच्छेद 4.6 के आलोक में, व्यापार एवं उद्योग जगत से स्पष्टीकरण की मांग करते हुए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इस संबंध में क्षेत्रीय संरचनाओं द्वारा कानून के प्रावधानों के कार्यान्वयन में एकरूपता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे आगे "सीजीएसटी अधिनियम" कहा जाएगा) की धारा 168(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बोर्ड द्वारा इस विषय में निम्नलिखित स्पष्टीकरण प्रदान किया जाता है:

3. उक्त परिपत्र के अनुच्छेद 4.6 के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया था कि ऐसी स्थिति में, जहाँ कोई अधिकृत डीलर केवल वाहन निर्माता के अभिकर्ता या सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करता है (जिसे आगे "डीलर-एजेंसी

मॉडल" कहा जाएगा), वहाँ ऐसे अधिकृत डीलर द्वारा वाहन के टेस्ट ड्राइव की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से खरीदे गए डेमो वाहन के संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट, सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 17(5) के खंड (a) के उप-खंड (A) के प्रावधानों के तहत ब्लॉक रहेगा, क्योंकि ऐसा अभिकर्ता अपने स्वयं के खाते पर मोटर वाहनों की आपूर्ति नहीं कर रहा है, बल्कि केवल वाहन निर्माता को विपणन अथवा सुविधा प्रदान करने संबंधी सेवाएँ उपलब्ध करा रहा है। संबंधित अंश निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है:

4.6 ... ऐसी स्थिति में, अधिकृत डीलर केवल वाहन निर्माता को विपणन और/या सुविधा-प्रदान संबंधी सेवाएँ उपलब्ध करा रहा है तथा अपने स्वयं के खाते पर मोटर वाहनों की आपूर्ति नहीं कर रहा है। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि उक्त डेमो वाहन का उपयोग डीलर द्वारा ऐसे मोटर वाहनों की आगे आपूर्ति किए जाने के लिए किया जा रहा है। तदनुसार, ऐसी स्थिति में, ऐसे डेमो वाहन के संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट, सीजीएसटी अधिनियम की धारा 17(5) के खंड (a) के उप-खंड (A) के अंतर्गत इनपुट टैक्स क्रेडिट के ब्लॉक होने से बाहर नहीं होगा और इसलिए, उस डीलर को उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा।

4. सीजीएसटी अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (5) के खंड (a), उन मोटर वाहनों के संबंध में आईटीसी की उपलब्धता पर रोक लगाता है जिनका इस्तेमाल लोगों के परिवहन के लिए किया जाता है और जिनकी स्वीकृत बैठने की क्षमता (चालक सहित) 13 लोगों से अधिक नहीं है। उक्त खंड निम्नानुसार है:

"(5) धारा 16 की उप-धारा (1) और धारा 18 की उप-धारा (1) में दी गई किसी भी बात के बावजूद, निम्नलिखित के संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, अर्थात् : -

(a) लोगों के परिवहन के लिए प्रयुक्त ऐसे मोटर वाहन, जिनमें चालक सहित तेरह लोगों से अधिक की स्वीकृत बैठने की क्षमता नहीं है, सिवाय तब, जब उनका उपयोग निम्नलिखित कराधेय आपूर्तियाँ किए जाने के लिए किया जाता है, अर्थात्:-

(क) ऐसे मोटर वाहनों की आगे आपूर्ति; या

(ख) यात्रियों का परिवहन; या

(ग) ऐसे मोटर वाहनों को चलाने का प्रशिक्षण प्रदान करना।

5. मामले की जांच की गई है । वाहनों की बिक्री के संबंध में प्रचलित पद्धति के अनुसार, यह देखा गया है कि इस क्षेत्र में मुख्यतः बिक्री के दो प्रकार के मॉडल प्रचलित हैं, अर्थात् डीलर-एजेंसी मॉडल और पारंपरिक डीलरशिप-आधारित मॉडल। डीलर-एजेंसी मॉडल में, डीलर मूल उपकरण निर्माता (ओईएम) से केवल उतने ही नए वाहन खरीदता है, जितने डेमो अथवा टेस्ट ड्राइव के प्रयोजनों के लिए आवश्यक होते हैं। नए वाहनों की बिक्री ओईएम द्वारा सीधे ग्राहक को की जाती है। पारंपरिक डीलरशिप-आधारित मॉडल में, डीलर नए वाहनों का एक बेड़ा खरीदता है और वाहन बिक्री को प्रोत्साहित करने के लिए उनमें से कुछ वाहनों को टेस्ट ड्राइव के प्रयोजनों हेतु डेमो वाहनों के रूप में निर्धारित करता है।

5.1. दोनों मॉडलों के बीच मूलभूत अंतर यह है कि पारंपरिक मॉडल में डीलर खुद वाहनों की बिक्री करता है, जबकि डीलर-एजेंसी मॉडल में ग्राहकों को वाहनों की बिक्री सीधे ओईएम द्वारा की जाती है और डीलर केवल प्रदर्शन तथा डेमो टेस्ट ड्राइव के प्रयोजन से डेमो वाहन रखता है। हालाँकि, दोनों ही मामलों में डेमो वाहन का उद्देश्य समान होता है, अर्थात् ग्राहक को वास्तव में कार खरीदने से पहले उसे चलाने का अनुभव प्राप्त करने का अवसर देना। दोनों मॉडलों में, अधिकृत डीलरों द्वारा वाहन निर्माताओं से कर इनवॉइस के माध्यम से ये डेमो वाहन खरीदे जाते हैं और सामान्यतः ऐसे अधिकृत डीलरों की लेखा-पुस्तकों में इन्हें कैपिटल एसेट (पूंजीगत संपत्ति) के रूप में दर्शाया जाता है। अधिकृत डीलरों के लिए इन वाहनों को एक निर्धारित अनिवार्य अवधि तक डेमो वाहन के रूप में रखना आवश्यक होता है और तत्पश्चात्, सामान्यतः, डीलर द्वारा इन्हें घटी हुई कीमत (रिटन-डाउन वैल्यू) पर बेचा जाता है तथा उस समय उक्त बिक्री पर लागू कर का भुगतान किया जाता है। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 के अंतर्गत भी ऐसे वाहनों के साथ समान रूप से व्यवहार किया जाता है। अतः इन गाड़ियों के मामले में कोई व्यावहारिक अंतर नहीं है, और किसी एक व्यवसाय मॉडल में आईटीसी न देने से ऐसी गाड़ियों पर आईटीसी मिलने के मामले में भेदभावपूर्ण स्थिति पैदा होती है।

6. इसके अतिरिक्त, सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 17(5)(a)(A) में "उक्त मोटर वाहन" के स्थान पर "ऐसे मोटर वाहन" वाक्यांश का प्रयोग यह दर्शाता है कि आईटीसी न केवल बेचे गए विशिष्ट वाहन पर, बल्कि इसी तरह के मोटर वाहनों की आगे आपूर्ति के लिए इस्तेमाल होने वाले वाहनों पर भी मिल सकता है। इसलिए, चूँकि दोनों प्रकार के व्यवसाय मॉडल में डेमो वाहन समान प्रकार के वाहनों की आपूर्ति को आगे बढ़ावा देने के उद्देश्य से कार्य करते हैं, इसलिए डीलर-एजेंसी मॉडल समेत दोनों प्रकार के व्यवसाय मॉडल में ऐसे डेमो वाहनों पर आईटीसी की अनुमति दी जानी चाहिए ।

7. तदनुसार, परिपत्र संख्या 231/25/2024-जीएसटी दिनांक 10.09.2024 के अनुच्छेद 4.6 में जारी स्पष्टीकरण एतद्द्वारा वापस लिया जाता है। साथ ही, यह स्पष्ट किया जाता है कि डीलर-एजेंसी मॉडल में डीलर द्वारा उपयोग किए जाने वाले डेमो वाहनों पर प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट, सीजीएसटी अधिनियम की धारा 17(5) के खंड (a) के अंतर्गत ब्लॉक नहीं है।

8. यह अनुरोध किया जाता है कि इस परिपत्र की विषय-वस्तु को संबंधित लोगों तक पहुंचाने हेतु उपयुक्त व्यापार सूचना जारी की जाए।

9. यदि इस परिपत्र के कार्यान्वयन में कोई कठिनाई हो तो उसे बोर्ड के ध्यान में लाया जाए।

भवदीय,

(गौरव सिंह)
आयुक्त (जीएसटी)